

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 191/2018

अनवान :

1. महेन्द्र पत्र हनुमानगिर जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र हनुमानगिर जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गुलजारीलाल पुत्र हनुमानगिर जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. हनुमानगिर पुत्र तुलछीगिर जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
 2. सावित्री
 3. सीता
 4. भतेरी
 5. मीरां
- पुत्रियां हनुमानगिर जाति गुसाई निवासीगण जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. कमला पुत्री स्व० शीशपाल गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
 7. रोशनी पुत्री स्व० शीशपाल गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
 8. आसी पत्नि स्व० शीशपाल गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- असल प्रतिवादीगण

9. इन्द्रसिंह पुत्र स्व० शीशपाल जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के पक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडियाबडा के खाता सं० 194/187 के खसरा सं० 296/1 की 3.573 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 हनुमान के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा रोही जिगासरीछोटी के खाता सं० 103/92 के खसरा सं० 56 की 4.932 है०, खसरा सं० 146 की 4.210 है० खसरा सं० 218/1 की 6.222 है० खसरा सं० 278/1 की 5.426 है० खसरा सं० 298 की 1.998 है० खसरा सं० 299/1 की 1.708 है० कुल 24.496 है० बारानी खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादी हनुमानगिर तथा तरतीबी प्रतिवादी इन्द्रसिंह प्रत्येक के नाम 1/5-1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं० 9 इन्द्रसिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 8 ने वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं० 9 इन्द्रसिंह के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं० 9 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/10/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (H.N.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 191/2018

अनवान :

1. महेन्द्र पत्र हनुमानगिर जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र हनुमानगिर जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गुलजारीलाल पुत्र हनुमानगिर जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. हनुमानगिर पुत्र तुलछीगिर जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
 2. सावित्री
 3. सीता
 4. भतेरी
 5. मीरां
- पुत्रियां हनुमानगिर जाति गुसाई निवासीगण जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. कमला पुत्री स्व० शीशपाल गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
 7. रोशनी पुत्री स्व० शीशपाल गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
 8. आसी पत्नि स्व० शीशपाल गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- असल प्रतिवादीगण

9. इन्द्रसिंह पुत्र स्व० शीशपाल जाति गुसाई निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्० अधि१९५५

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादीगण

निर्णय

दिनांक : 29/10/18


संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्दडियाबडा के खाता सं० 194/187 के खसरा सं० 296/1 की 3.573 है० बरानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 हनुमान के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा रोही जिगासरीछोटी के खाता सं० 103/92 के खसरा सं० 56 की 4.932 है०, खसरा सं० 146 की 4.210 है० खसरा सं० 218/1 की 6.222 है० खसरा सं० 278/1 की 5.426 है० खसरा सं० 298 की 1.998 है० खसरा सं० 299/1 की 1.708 है० कुल 24.496 है० बरानी खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादी हनुमानगिर तथा तरतीबी प्रतिवादी इन्द्रसिंह प्रत्येक के नाम 1/5-1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है।

1910
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)
Page



अतः : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडियाबडा के खाता सं० 194/187 के खसरा सं० 296/1 की 3.573 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 हनुमान के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा रोही जिगासरीछोटी के खाता सं० 103/92 के खसरा सं० 56 की 4.932 है०, खसरा सं० 146 की 4.210 है० खसरा सं० 218/1 की 6.222 है० खसरा सं० 278/1 की 5.426 है० खसरा सं० 298 की 1.998 है० खसरा सं० 299/1 की 1.708 है० कुल 24.496 है० बारानी खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादी हनुमानगिर तथा तरतीबी प्रतिवादी इन्द्रसिंह प्रत्येक के नाम 1/5-1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं० 9 इन्द्रसिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 8 ने वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं० 9 इन्द्रसिंह के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं० 9 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...29/10/18... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलेक्टर S.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़